प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 2009

1. अधिकारी का पूरा नाम: श्रीमती चंचल आचार्य
2. वर्तमान पद : असि. प्रा.
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) : 13710 वेतनवृद्धि July 10

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंटे या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7
	निरंक					

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहीं वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

चंचल आचार्य

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 2009

1. अधिकारी का पूरा नाम: श्री जे.सी. गुप्ता
2. वर्तमान पद : सहा. ग्रेड 1
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) : 12000 July 10 वेतनवृद्धि दिनांक

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

जे. सी. गुप्ता

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 200

1. अधिकारी का पूरा नाम: श्री कंचन दीक्षित
2. वर्तमान पद : सहा ग्रेड 3
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) : 8030

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7
			NIL			

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

कंचन

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 200

1. अधिकारी का पूरा नाम: श्रीमती ममता सेन
2. वर्तमान पद : सहायक ग्रेड III
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) :

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7
जबलपुर	पैतृक मकान	7 लाख	स्वयं	विरासत	निरंक	निरंक

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 200

1. अधिकारी का पूरा नाम: आर. के. दीक्षित
2. वर्तमान पद : सहा. ग्रेड 2
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) : ~~[illegible]~~ 10250 वेतनवृद्धि लिखि

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा.	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7
जबलपुर	गृह 800 वर्गफुट	लगभग 10 लाख	विवाहिता श्रीमती सुषमा दीक्षित पत्नी जी	विरासत	NIL	NIL

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

आर. के. दीक्षित

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 2009

1. अधिकारी का पूरा नाम: श्रीमति एस. गोस्वामी
2. वर्तमान पद : अनुदेशक
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) : 13200 वेतनवृद्धि July 10

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7

Nil

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

सविता दास गुप्

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 200

1. अधिकारी का पूरा नाम: श्री एस-के-बामदेव
2. वर्तमान पद : सहा-ग्रेड 3
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) : 9530 वेतनवृद्धि तिथि

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7
	Nil					

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर

सुरेश ना

प्रारूप – एक

(31 दिसम्बर की स्थिति में)

शासकीय सेवक की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण वर्ष 200

1. कर्मचारी का पूरा नाम: सुधाप्रसाद नामदेव
2. वर्तमान पद : संगीत सहायक
3. महाविद्यालय का नाम : शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. वर्तमान वेतन (मूल) :

उस जिले उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम धारित और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक , विरासत भेंटे या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा .	संपत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7
जबलपुर,	नजूल मकान	1,00,000/-	पत्नी श्रीमती गिरजा नामदेव	पट्टा	Nil.	Nil

जहां लागू न हो काट दीजिये

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही - सही निर्धारण करना न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय. इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के लिये 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें। 2. जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में दी जानी चाहिये।

Namdeo

हस्ताक्षर